राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांक प.1(29)चिस्वा/ग्रुप–3/96 दिनांक 1.10.2008

अधिसूचना

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद(विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्न वर्णित प्राधिकृत व्यक्तियों को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 4 के अधीन किये गये ऐसे अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करती है जिसमें दो सौ रुपये से अनधिक की रकम हो :–

क्र.स.	कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति	सार्वजनिक स्थान का विवरण
1.	बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन के निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी	उनके अधिकार क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थान
2.	राज्य सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के सभकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी	सरकारी कार्यालय /परिसर तथा स्वायत्ता निकायों एवं निगमों के कार्यालय।
3.	निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/अस्पताल प्रशासक	सरकारी तथा निजी अस्पताल
4.	संस्था का प्रमुख/एच आर प्रबंधक/प्रशासन प्रमुख	निजी कार्यालय/कार्य स्थल
5.	कालेज, स्कूल/हैड मास्टर/प्राचार्य /शिक्षक	संबंधित शैक्षणिक संस्थान
6.	लाइब्रेरियन/सहायक लाइब्रेरियन/लाइब्रेरियन प्रभारी/ लाइब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टॉफ	लाईब्रेरी/पठन कक्ष
7	निदेशक (जन स्वा.) /निदेशक स्वास्थ्य सेवा	सभी सार्वजनिक स्थान
8.	राज्य सरकार में प्रशासन प्रभारी	सभी सार्वजनिक स्थान
9	स्टेट नोडल अधिकारी/जिला तथा राज्य स्तर पर तम्बाकू रोधी प्रकोष्ठ के फोकल प्वाइंट	सभी सार्वजनिक स्थान

राज्यपाल के आदेश से

(राम खिलाड़ी मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक प.1(29)चिस्वा/ग्रुप–3/96 दिनांक 1.10.2008

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री महोदय राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव(गृह मंत्रालय) राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक पी–16015/20/2007 पीएच दिनांक 19 अगस्त 2008 के सन्दर्भ में।
8. महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भारत सरकार, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को प्रथक से प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग –2 खण्ड 3 उपखण्ड (1) में दिनांक 30.6.2008 को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008 प्रकाशित) जो कि दिनांक 2.10.2008 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है के प्रावधानों के अन्तर्गतः–

2. परिभाषा: इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) "होटल" से वह भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है जहां भोजन की सुविधा अथवा अन्य सेवाओं के साथ या उसके बिना, पैसा लेकर या अन्यथा के लिए व्यवसाय की दृष्टि से ठहरने का स्थान प्रदान किया जाता है और इसमें बोर्डिंग हाउस और गेस्ट हाउस शामिल है।

(ख) "रेस्तरां" से कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां तक जनता की पहुंच है और जहां पर पैसा लेकर या अन्यथा के लिए व्यवसाय की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए किसी भी प्रकार के भोजन या ड्रिंक की आपूर्ति की जाती है और इसमें ऐसे परिसरों के आसपास का खुला स्थान शामिल है और इसमें निम्नलिखित है:–

(1) अल्पाहार कक्ष, दावत हाल, डिस्कोथिक, कैन्टीन, कॉफी हाउस, पब, बार, एयरपोर्ट लाउंच और इन जैसे।

(ग) अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लिखित "खुले स्थान" में ऐसे कोई स्थान जहां जनता जाती है, शामिल नही होंगे जैसे ओपन ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेलवे, बस/स्टॉप/स्टैंड और अन्य ऐसे स्थान।

(घ) अधिनियम की धारा 3 (1) में परिभाषित "सार्वजनिक स्थान" में कार्य स्थल, शॉपिंग माल और सिनेमा हाल भी शामिल होगे।

(ङ) अधिनियम की धारा 4 में परन्तुक में उल्लिखित "धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान" से एक अलग हवादार धूम्रपान कक्ष अभिप्रेत है जो:

(1) भौतिक रुप से अलग हो और जो चारों दिशाओं से पूरी ऊंचाई वाली दीवारों से घिरा हुआ हो:

(2) जिसमें स्वतः बंद होने वाला दरवाजा जिसे सामान्यतः बंद करके रखा जाता है, के साथ प्रवेश द्वारा हो:

(3) जिसमें अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट वायु प्रवाह प्रणाली हो।

(4) जिसमें भवन के शेष भाग की तुलना में नेगेटिव वायु दबाव हो।

(च) यहां पर प्रयुक्त किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिनको नियमों में परिभाषित नही किया जाता है, परन्तु जिनको अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ क्रमशः उनका अधिनियम में दिया गया अर्थ है।

3. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध:–

(1) सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि:

(क) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करे (उसके क्षेत्राधिकार/अन्तर्निहित के अधीन)

(ख) सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वारा पर , यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार है तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वारा और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान (स्थानों) पर अनुसूची 2 में उल्लिखित किए अनुसार बोर्ड प्रमुख रुप से लगाया जाना चाहिए।

(ग) धूम्रपान को सुविधाजनक बनाने वाली किसी भी एस्ट्रे, माचिस, लाइटर या इस प्रकार की डिजाइन की गई वस्तु को सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध नही करवाया जाना चाहिए।

(2) सार्वजनिक स्थान पर मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी उस व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके पास किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) जो इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते है, का नाम अधिसूचित करेगा और प्रमुख रुप से प्रदर्शित करेगा।

(3) यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उल्लंघन सूचित करने पर कार्रवाई करने में असफल रहता है तो मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना अदा करने का जिम्मेदार होगा।

(**स्पष्टीकरण:** इन नियमों के प्रयोजन के लिए अपराध का अर्थ नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता हुआ पाया जाने वाला व्यक्ति है)

4. होटल, रेस्तरां एवं हवाईपत्तन

(1) तीस या अधिक कमरों वाले होटल या तीस व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां मालिक , स्वामी, प्रबंधक या कार्य प्रभारी तथा हवाईपत्तन का प्रबंधक नियम 2 (ङ) में यथा परिभाषित धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान की व्यवस्था कर सकता है।

(2) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान होटल रेस्तरां और हवाईपत्तन के प्रवेश द्वार या निकास द्वार पर स्थापित नही किया जाएगा और इसे अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा जो लागू हो, में "धूम्रपान क्षेत्र" के रुप में स्पष्ट रुप से चिन्हित किया जाएगा।

(3) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान का इस्तेमाल धूम्रपान के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा और कोई अन्य (सेवा) सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) तीस या अधिक कमरों वाले होटल का मालिक, स्वामी प्रबंधक, पर्यवेक्षक या कार्यप्रभारी निम्नलिखित निर्धारित तरीके से पृथक धूम्रपान कमरों को नामोदि्दष्ट कर सकता है:—

(क) इस तरह का नामोदि्दष्ट सभी कमरे उसी तल का स्कंध जैसा भी मामला हो, में एक पृथक अनुभाग का निर्माण करेंगे। एक से अधिक तलों/स्कंधो के मामले में यह कमरा एक तल/स्कंध जैसा भी मामला होगा, में होगा।

(ख) ऐसे सभी कमरों को अंग्रेजी अथवा एक भारतीय भाषा, जो लागू हो, में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।

(ग) ऐसे कमरे से धुए को बाहर संचालित किया जाएगा और यह लाबी एवं कारिडोर सहित होटल के गैर—धूम्रपान क्षेत्रों में नहीं फैलेगा/प्रवेश करेगा।

5. अधिकृत अधिकारियों द्वारा अर्थदंड की वसूली

(1) अनुसूची 3 में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्य करने और इसके उल्लंघन में किए गए अपराधों के प्रशमित करने के लिए सक्षम होगें।

अनुसूची 2

(नियम 2 (ढ) 3 देखें)

(1) इसे प्रत्यक्षतया ही बाहर निष्कासित किया जाता है और भवन के अन्य भागों के लिए सप्लाई वायु में पुनः मिश्रित नहीं किया जाता है। यथा

(2) यह नान—रिसर्कुलेटिंग एक्सहास्ट प्रणाली या एयर क्लीनिंग प्रणाली अथवा दोनों के संयोजन द्वारा सुसज्जित किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वायु केवल उसी तरीके से निर्मुक्त होती है जिससे यह धूम्रपान क्षेत्र या स्थान से गैर—धूम्रपान क्षेत्रों में पुनः संचरित अथवा स्थानान्तरित नहीं हो।

अनुसूची 2

(नियम 3 (ख) देखें)

(1) बोर्ड न्यूनतम 60 सेमी. गुणा 30 सेमी आकार का सफेद पृष्ठभूमि का होगा।

(2) इसमें कम से—कम 15 सेमी बाह्य व्यास का एक चक्र होगा जिसके कम—से—कम 3 सेमी चौडी लाल परिमिति होगी जिसके केन्द्र में काले धुए के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी का चित्र होगा और वह लाल पट्टी से रेखित होगा।

(3) सिगरेट के आर—पार लाल पट्टी की चौडाई लाल परिमिति को चौडाई के बराबर होगी।

(4) बोर्ड पर अंग्रेजी में अथवा किसी भारतीय भाषा में, जो लागू हो चेतावनी होगी "गैर—धूम्रपान—क्षेत्र—यहां धूम्रपान करना अपराध है"।

पृष्ठ 1 पर अंकित अधिसूचना राजस्थान सरकार के असाधारण गजट नोटिफिकेशन दिनांक 1.10.2008 में प्रकाशित की जा चुकी है। कृपया आपके अधीन संस्थानों में इन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करायी जावे।

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान।
2. महा निदेशक, आरजी राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त आयुक्त/अध्यक्ष निगम एवं बोर्ड राजस्थान।
4. मण्डल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर।
5. समस्त, संभागीय आयुक्त राजस्थान।
6. समस्त शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान।
11. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
13. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. पंजीयक, समस्त विश्वविद्यालय, राजस्थान।
15. प्रभारी, एयरपोर्ट जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
16. समस्त औषधि नियंत्रक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
19. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
20. रक्षित पत्रावली।

उपशासन सचिव